प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

190 कोटा दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :-

श्री **संदीप शर्मा**, प्लाट नं. 16, सुभाष नगर, कोटा (राज.) जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खडे किये गये है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान: कोटा

तारीख: 03.12.2023

बृज महिन बैरवा रिटर्निंग ऑफिसर

190-कोटा दक्षिण विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कोटा

FORM 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assmbly of RAJASTHAN State from the 190 KOTA SOUTH Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961,

I declare that -

Shri SANDEEP SHARMA, Plot No. 16, Subhash Nagar, Kota (Raj.) sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - KOTA
Date - 3.12.2023

BRIJ MOHAN BAIRWA
Returning Officer
190-Kota South Assembly Constituency
Additional District Magistrate, (City) Kota